


1- कैंटीन संचालन हेतु नीलामी की सूचना :-

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय गुना में कैंटीन संचालन हेतु नीलामी प्रस्ताव आमंत्रित किये जाना है। नीलामी की न्यूनतम राशि 7.02500/- (सात लाख दो हजार पाच सौ) रुपये है।

नीलामी शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 18,19 एवं 20.02.2020 को दोपहर 03:00 बजे से शाम 04.30 बजे तक कार्यालय जिला न्यायालय गुना के न्यायालय प्रांगण शूटर शेड के सामने (छोटे बगीचे के पास) के पास नीलामी की बोली लगाई जाना है। बोली लगाने हेतु संबंधित व्यक्ति को नजारत अनुभाग गुना में अमानत राशि 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये जमा कराना होगा। तत्पश्चात् संबंधित व्यक्ति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कैंटीन नीलामी की बोली में भाग ले सकता है।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय एवं अभिभाषक संघ गुना के नोटिस बोर्ड एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की वेबसाईट ([www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in)) पर भी देखा जा सकता है।

  
प्रभारी अधिकारी,  
नजारत अनुभाग,  
न्यायालय, गुना(म.प्र.)

D.N. 23/1/20  
15/01/2020



-: नीलामी शर्तें :-

01. नीलामी अनुबंध हेतु बोली दिनांक 18,19 एवं 20.02.2020 को दोपहर 03:00 बजे से शाम 04.30 बजे तक लगाई जावेगी। इस हेतु अमानत राशि उक्त दिनांको के पूर्व कार्यालय मे जमा की जावेगी।

02. नीलामीकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा दो वर्ष के लिये खुली भूमि 30X40= लगभग 1200 वर्ग फिट आधिपत्य दिनांक को अनुबंध संपादित किया जाएगा।

03. जिला न्यायालय परिसर में कैंटीन हेतु 30X40= लगभग 1200 वर्ग फिट की भूमि उपलब्ध कराई जावेगी, जिस पर नीलामीकर्ता कैंटीन संचालन हेतु स्वयं के व्यय पर अस्थायी निर्माण करेगा। नीलामी क्रेता ठेका स्वीकृति होने के पश्चात् केन्टीन का निर्माण करेगा अतः केन्टीन का निर्माण होने के लिये दो माह की अवधि के पश्चात् ठेके की दो वर्ष की अवधि प्रारंभ होगी।

04. कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है, तो नीलामीकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटाई नहीं जावेगी।

05. नीलामीकर्ता को नीलामी आवेदन के साथ रुपये 25,000/- की जमानत राशि आवेदन के साथ जिला न्यायालय गुना के नजारत अनुभाग मे जमा करानी होगी। सफल नीलामीकर्ता के अतिरिक्त शेष नीलामीकर्ताओं को उक्त अमानत राशि वापस लौटा दी जावेगी।

06. जिस नीलामीकर्ता की अधिकतम नीलामी बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे नीलामीकर्ता को अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व नीलामी की निर्धारित राशि चार किश्तों में 6 माह पूर्ण होने से 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। (ठेकेदार को बोली स्वीकृति के बाद प्रथम किश्त व अन्य तीन किश्ते छै :-छै: माह के अन्तराल से जमा करानी होगी।)

07. अनुबंध की शर्तों को प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

08. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के आदेशानुसार या अन्यथा जिला



न्यायाधीश द्वारा नीलामी शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका नीलामीकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

09. कैंटीन के संचालन अथवा नीलामी की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने का निराकरण जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10. नीलामीकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित हो, अन्यथा अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

11. नीलामीकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा नीलामीकर्ता के विरुद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

12. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

13. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

14. नीलामीकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय-समय पर द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार किया जावेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

15. नीलामीकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। नीलामीकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थायी निर्माण, जो कि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो नीलामीकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।



16. नीलामीकर्ता कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के विद्युत देयक भुगतान करेगा।
17. कैंटीन दुकान के संचालन के लिए प्रथम पक्ष द्वारा ही मशीनों को रखा जावेगा तथा इस रख रखाव में हुए व्यय का वहन भी प्रथम पक्ष का ही होगा।
18. नीलामीकर्ता कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद / नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।
19. नीलामीकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर द्वितीय पक्ष से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।
20. विक्रय योग्य वस्तुओं की अनुमोदित दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।
21. कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।
22. सफल नीलामीकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टॉम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।
23. नीलामी कर्ता ठेका प्राप्त होने के पश्चात् केन्टीन का संचालन दुकान संस्थान नियम के अनुसार निर्धारित समय तक कर सकेगा लेकिन न्यायालय परिसर के अन्दर की ओर के प्रवेश द्वार को न्यायालय समय में ही खोलेगा और न्यायालयीन समय समाप्त होने पर बंद कर देगा।
24. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों/न्यायालयीन कर्मचारियों/पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को नीलामी की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा /उनकी नीलामी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा/नीलामी निरस्त की जा सकेगी।
25. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह नीलामी के अंतर्गत की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित या परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।



26. सफल नीलामीकर्ता द्वारा कैटीन की दुकान वाले भाग में स्वयं के व्यय पर रंगरोगन मरम्मत आदि का कार्य समय - समय पर किया जावेगा।

27. कैटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।


28. प्रथम पक्ष कैटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यासवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रम विधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

29. कैटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूम्रपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

30. ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि नीलामीकर्ता पुनः केन्टीन का ठेका लेना चाहता है तो नीलामी प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक ठेका नवीन नीलामीकर्ता को प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत नीलामी की राशि बढ़ाकर अपने ठेके को आगे की अवधि तक के लिये जारी रख सकेगा।

यथा आदेश केन्टीन नीलामी की सूचना व शर्तें तैयार कर न्यायालय निम्नलिखित स्थानों पर चस्पा किया जाना प्रस्तावित हैं।

01. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की बेबसाईट ([www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in))
02. जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड गुना
03. आभिभाषक संध के नोटिस बोर्ड न्यायालय गुना
04. कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
05. तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
06. नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड गुना
07. जिला पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड गुना
08. जयस्तंभ चौराहा गुना
09. हनुमान चौराहा गुना
10. बस स्टेण्ड गुना
11. रेलवे स्टेशन गुना

  
प्रभारी अधिकारी,  
नजारत अनुभाग,  
न्यायालय, गुना(म.प्र.)